

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला —बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.कमांक—238 / 2012
 संस्थित दिनांक—22.03.2012
 फाईलिंग क.234503002082012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—रूपझर,
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

महेन्द्र पिता मुरारीलाल कौशिक, उम्र—25 वर्ष,
 निवासी—ग्राम उकवा, थाना रूपझर,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक—20 / 11 / 2015 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 451, 323, 427, 506 (भाग—दो) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—03.01.2012 को 1:30 बजे थाना रूपझर अंतर्गत ग्राम उकवा हाईस्कूल के बाजू में लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, फरियादी संजय बिसेन की दुकान के काउन्टर में तोड़फोड़ करने के आशय से विधि विरुद्ध प्रवेश कर गृह अतिचार कारित कर, फरियादी को नुकसान कारित करने के आशय से दुकान में तोड़फोड़ कर कांच एवं मोबाईल तोड़कर 3,000/—रुपये की रिष्टी कारित कर, फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने करने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी संजय बिसेन जो ग्राम उकवा वार्ड नंबर—13 में रहता है तथा उसकी मोबाईल रिपेयरिंग की दुकान हाईस्कूल उकवा के बाजू में है। दिनांक—03.01.12 को दिन के 1:30 बजे वह अपनी दुकान के काउन्टर में था, उसी समय मकान मालिक राकेश कुम्भरे आया और बोला कि किराए के पैसे क्यों नहीं दे रहे हो, तो उसने बोला कि उसकी दुकान की चोरी हो गई है अभी नहीं दे सकता, तो उतने में आरोपी महेन्द्र कौशिक उसकी दुकान में आया और उसे

साले मादरचोद की बुरी-बुरी गालियां देकर कहने लगा कि साले तेरे को जान से खत्म कर दूंगा और दुकान को भी बरबाद कर दूंगा कहकर आरोपी महेन्द्र कौशिक ने कॉलर पकड़कर खींचतान किया और उसे एक थप्पड़ गाल पर मारा, जिससे उसके दाहिने हाथ की उंगली कटी है और खून निकला था। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी/आहत संजय बिसेन के द्वारा पुलिस थाना रूपझर में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-03/2012, धारा-294, 323, 506, 427 भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लिये गये तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 451, 323, 427, 506 (भाग-दो) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फँसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-03.01.2012 को 1:30 बजे थाना रूपझर अंतर्गत ग्राम उकवा हाईस्कूल के बाजू में लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर दुकान के काउन्टर में तोड़फोड़ करने के आशय से विधि विरुद्ध प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया ?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत संजय बिसेन को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
4. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को नुकसान कारित करने के आशय से दुकान में तोड़फोड़ कर कांच एवं मोबाईल तोड़कर 3,000/-रुपये की रिष्टी कारित किया ?
5. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को

संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने करने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— फरियादी/आहत संजय बिसेन (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना दिनांक-03.01.2012 को दिन के डेढ़ बजे शासकीय हाईस्कूल के सामने स्थित दुकान की है। उसकी मोबाईल रिपेयरिंग की दुकान है और बाजू में आरोपी की जनरल स्टोर्स की दुकान है। घटना के समय उसकी दुकान पर कुछ लड़कियाँ ग्राहक खड़ी हुई थी, तो आरोपी अश्लील गाना गाने लगा, जिस पर उसने मना किया और लड़कियों के जाने के बाद उसने उसे ऐसी हरकत करने से मना किया तो आरोपी उसे गाली-गलौज करते हुए हाथ-मुक्कों से मारपीट करने लगा, जिससे उसके चेहरे पर खरोंच आई थी। आरोपी ने उसकी दुकान में रखी हुई लकड़ी से भी मारपीट किया, उसके बाद उसकी दुकान का कांच तोड़ दिया। कांच के अलावा कम्प्यूटर का भाग भी टूट गया था, जिससे उसे नुकसान हुआ। उक्त तोड़फोड़ में कुल नुकसानी लगभग सात हजार रुपये की हुई थी। घटना की रिपोर्ट उसने थाना रूपझर में लेख कराई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे और उसकी चोटों का मुलाहिजा करवाया था। उसके द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस द्वारा नुकसानी पंचनामा भी तैयार किया गया था।

6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि घटना के पूर्व आरोपी से उसके अच्छे संबंध नहीं थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि पुरानी दुश्मनी होने के कारण आरोपी के खिलाफ झूठी गवाही दे रहा है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य का खण्डन नहीं हुआ है कि आरोपी ने उसे घटना के समय हाथ-मुक्कों से मारपीट कर उपहति कारित की थी और उसकी दुकान की कांच को तोड़फोड़ कर नुकसानी कारित की थी।

7— राकेश (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी महेन्द्र एवं फरियादी संजय बिसेन को भी पहचानता है। घटना दो वर्ष पहले ग्राम उकवा स्थित कॉम्पलेक्स के पास की है। आरोपी और फरियादी उसकी दुकान में किराएदार

के रूप में दुकानदारी करते थे। दोनों के बीच में रंजिश होने से घटना दिनांक को दिन के दो बजे दोनों के बीच में मारपीट हुई थी। पहले आरोपी ने फरियादी संजय को मारपीट किया था और गाली-गलौज किया था। उसने बीच-बचाव किया था तो उसे भी हल्की चोटें आई थी। उक्त मारपीट से संजय बिसेन की दुकान का कांच टूट गया था। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ कर बयान लिये थे। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि आरोपी और प्रार्थी के बीच पहले से संबंध ठीक नहीं थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि घटना के समय दोनों ने एक-दूसरे को मारपीट किया था और उसने बीच-बचाव किया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में फरियादी संजय (अ.सा.2) के कथन का समर्थन किया है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता।

8— संजय चौकसे (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण एवं आहत को जानता है। घटना लगभग तीन-चार वर्ष पूर्व दिन के लगभग 2:00 बजे की उकवा में हायर सेकेण्डरी स्कूल के सामने कॉम्प्लेक्स की बात है। उक्त कॉम्प्लेक्स में आरोपी एवं फरियादी दोनों की दुकानें हैं। उक्त दोनों के बीच में बाता-बाती हुई थी और आरोपी ने संजय बिसेन की दुकान में आकर तोड़ा-फोड़ी की थी। आरोपी ने संजय बिसेन के साथ गाली-गलौज कर हाथ से मारपीट की थी और जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामलों का अपनी साक्ष्य में समर्थन किया है।

9— अरविन्द (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह फरियादी संजय बिसेन को जानता है। घटना के दूसरे दिन उसने संजय बिसेन की दुकान पर एक कांच जमीन पर पड़ा हुआ देखा था। उक्त कांच कहां का था, उसे जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके समक्ष नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-3 की कार्यवाही नहीं थी, किन्तु प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उसने अभियोजन मामलों का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

10— अनुसंधानकर्ता अधिकारी जगदीश गेड़ाम (अ.सा.6) ने मुख्य परीक्षण में

कथन किया है कि वह दिनांक-03.01.2012 को पुलिस चौकी उकवा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को सूचनाकर्ता संजय बिसेन की मौखिक रिपोर्ट पर आरोपी महेन्द्र के विरुद्ध में प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-0/12, धारा-294, 323, 506, 427 भा.द.वि. के तहत प्रधान आरक्षक कपूर बिसेन के द्वारा लेख की गई थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर प्रधान आरक्षक कपूर बिसेन के हस्ताक्षर हैं, जिसे वह उसके अधिनस्थ कार्य करने के कारण पहचानता है। उक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 को असल नम्बरी हेतु थाना रूपझर भेजा था, जिसे असल नम्बरी प्रधान आरक्षक हीरालाल के द्वारा प्रथम सूचना क्रमांक-03/12, धारा-294, 323, 506, 427 भा.द.वि. लेख की गई थी, जो प्रदर्श पी-4 है, जिस पर प्रधान आरक्षक हीरालाल के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें वह साथ में कार्य करने के कारण पहचानता है। उक्त अपराध क्रमांक की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक-03.01.2012 को संजय की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी संजय, साक्षी राकेश एवं दिनांक-21.01.2012 को संजय चौकसे के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। दिनांक-03.01.2012 को ही आहत संजय बिसेन की मोबाईल दुकान के काउन्टर के कांच एवं मोबाईल टूटने बाबत साक्षियों के समक्ष प्रदर्श पी-3 के अनुसार नुकसानी पंचनामा तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसमें लगभग 3,000/-रुपये का प्रार्थी को नुकसानी हुई थी। उक्त दिनांक को ही आरोपी महेन्द्र को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-18.03.2012 को संजय बिसेन से साक्षियों के समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-6 के अनुसार दो मोबाईल एवं कांच का टुकड़ा जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11- उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने घटना के समय हुई नुकसानी कांच टूटने एवं मोबाईल टूटने के संबंध में कोई रसीद जप्त नहीं की है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने नुकसानी पंचनामा थाने में बैठकर झूठा तैयार किया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का बचाव पक्ष की ओर से खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामले में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

12- प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत महत्वपूर्ण साक्षी फरियादी संजय (अ.सा.2) ने उसके द्वारा लेख कराई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 एवं उसके पुलिस

कथन के अनुरूप कथन किये हैं, जिसमें महत्वपूर्ण विरोधाभास होना प्रकट नहीं होते हैं। साक्षी ने आरोपी के द्वारा घटना के समय उसे मारपीट कर उपहति कारित करने और उसकी दुकान में रखी लकड़ी से मारपीट कर उसके बाद उसकी दुकान का कांच तोड़कर नुकसानी कारित करने का कथन किया है, जिसका खण्डन उसके प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है। इस तथ्य की पुष्टि अन्य चक्षुदर्शी साक्षी राकेश (अ.सा.1) एवं संजय चौकसे (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में किया है। यद्यपि उक्त सभी साक्षीगण के कथन से यह स्पष्ट नहीं होता कि आरोपी ने किन शब्दों के उच्चारण से फरियादी को गाली-गलौज कर कथित क्षोभ कारित किया था तथा यह तथ्य भी प्रकट नहीं होता कि आरोपी ने फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया था।

13— अभियोजन की ओर से शेष स्वतंत्र साक्षीगण के द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन न किये जाने से अभियोजन का मामला प्रभावित नहीं होता है। फरियादी व अन्य चक्षुदर्शी साक्षीगण ने अभियोजन का समर्थन किया है, जिनके कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

14— प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि घटना के समय आरोपी ने फरियादी संजय बिसेन की दुकान में तोड़फोड़ करने के आशय से विधि विरुद्ध प्रवेश किया। इस प्रकार आरोपी का उक्त कृत्य फरियादी संजय की दुकान, जो कि संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता है में कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए गृह अतिचार कारित किया जाना प्रकट होता है।

15— महत्वपूर्ण साक्षीगण के कथन से यह भी स्पष्ट है कि आरोपी ने उक्त गृह अतिचार के पश्चात् फरियादी संजय के साथ मारपीट कर उसे उपहति कारित की। आरोपी के द्वारा आहत संजय को मारपीट करते समय निश्चित ही उसे उपहति कारित होने की संभावना को जानता था। इस प्रकार आरोपी के द्वारा किया गया मारपीट का कृत्य स्वेच्छया उपहति कारित करने की श्रेणी में आता है।

16— आरोपी ने घटना के समय फरियादी संजय की दुकान के काउन्टर का कांच तोड़कर नुकसान कारित किया, जिसके संबंध में नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-3 में उक्त कांच कीमत 1800/-रुपये व मोबाईल की कीमत 1200/-रुपये लेख की गई है। यद्यपि फरियादी संजय (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में केवल यह बताया है कि उसकी दुकान का कांच टूट गया था तथा इसके अलावा कम्प्यूटर का भाग टूटा होना बताया,

जिसका उक्त नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-3 में लेख नहीं है और न ही कथित कम्प्यूटर की नुकसानी के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट व उसके पुलिस कथन में भी उल्लेख नहीं होने से कथित कम्प्यूटर की नुकसानी के संबंध में फरियादी का कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार आरोपी के द्वारा फरियादी संजय की दुकान में तोड़फोड़ कर दुकान के काउन्टर का कांच कीमती 1800/-रुपये का नुकसान कारित किया जाना प्रमाणित होता है। उक्त नुकसानी आरोपी के द्वारा आशय पूर्वक किया जाना प्रकट होने से यह तथ्य भी प्रमाणित होता है कि आरोपी ने फरियादी की दुकान के काउन्टर का कांच कीमती 1800/-रुपये का नुकसान पहुंचाकर रिष्टी कारित की।

17— अभियोजन की ओर से स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि घटना के समय आरोपी ने फरियादी संजय बिसेन को अश्लील शब्द का उच्चारण कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया या फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर अपराधिक अभित्रास कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 भाग-2 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

18— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने इस तथ्य को संदेह से परे प्रमाणित किया है कि उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर अतएव आरोपी ने फरियादी संजय बिसेन की दुकान के काउन्टर में तोड़फोड़ करने के आशय से विधि विरुद्ध प्रवेश कर गृह अतिचार कारित कर आहत संजय बिसेन को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा उसे नुकसान कारित करने के आशय से दुकान का कांच कीमती 1,800/- रुपये तोड़कर रिष्टी कारित किया। फलतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-451, 323, 427 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

19— आरोपी को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया गया।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

पश्चात्—

20— आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी की ओर से निवेदन

किया गया है कि यह उसका प्रथम अपराध है तथा उसके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उसके द्वारा मामले में वर्ष 2012 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा वह प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित होते रहा है। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

21— मामले में आरोपी के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है तथा वह मामले में वर्ष 2012 से लगातार विचारण का सामना कर रहे हैं। मामले की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव नहीं है। अतएव आरोपी को निम्नानुसार दंडित किया जाता है—

धारा	कारावास	अर्थदंड	अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में कारावास
451 भा.द.वि.	6 माह का साधारण कारावास	500 /—	एक माह का साधारण कारावास
323 भा.द.वि.	6 माह का साधारण कारावास	1,000 /—	एक माह का साधारण कारावास
427 भा.द.वि.	6 माह का साधारण कारावास	500 /—	एक माह का साधारण कारावास

22— आरोपी को दी गई कारावास की सभी सजाएं साथ-साथ भुगताई जावे।

23— मामले में आरोपी अभिरक्षा में नहीं रहा है। उक्त के संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र तैयार किया जाये।

24— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

25— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक मोबाईल नोकिया कंपनी का, एक मोबाईल सफेद रंग का, जिसमें एफ-71 लिखा है, एक कांच का टुकड़ा फरियादी संजय बिसेन को अपील अवधि पश्चात् वापस प्रदान किया जावे अथवा अपील होने की दशा माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट